

25 से 28 अगस्त, 2022 को सेंट्रल पाक मैदान,सॉल्टलेक, कोलकाता में टी बाड भारत के साथ आयोजित

हान वाला 25^{वीं} नेशनल ट्रेड एक्जिबीशन में भागीदारी के संबंध में पारपत्र

ए. पात्रता

1. 25 से 28 अगस्त, 2022 को सेंट्रल पाके मैदान,सॉल्टलेक, कोलकाता में टी बोर्ड भारत के साथ आयोजित होने वाले 25^{वीं} नेशनल ट्रेड एक्जिबीशन में भाग लेने के इच्छुक चाय कंपनियों को टी बोर्ड के साथ पंजीकृत होना होगा। उपरोक्त के संबंध में अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित आवेदन पत्र के साथ वैध लाइसेंस (जैसे आरसीएमसी, बायसे लाइसेंस या एक्सपोर्टसे लाइसेंस) की प्रतियां कंपनी की मुहर सहित जमा करनी होंगी ।
2. कंपनी/आवेदक अपनी कंपनी/आवेदक की मुहर सहित अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित एक अडरटेकिंग प्रस्तुत करेगी , जिसमें यह उल्लेख होना चाहिए कि यह कंपनी वाणिज्य एवं व्यवसाय से सर्वाधिक किसी भी आधार पर किसी भी जाच के अधीन /आरोप के अधीन /अभियोजित/विवाजित/ब्लैक लिस्टेड नहीं है।
3. कंपनी को 25 से 28 अगस्त , 2022 को सेंट्रल पाके मैदान,सॉल्टलेक, कोलकाता में 25^{वीं} नेशनल ट्रेड एक्जिबीशन में केवल 100% भारतीय चाय को ही प्रदर्शनी/बिक्री करनी होगी।

बी. आवेदन का प्राकृत्य

1. भागीदारी के लिए इच्छुक चाय कंपनियों/आवेदकों को भागीदारी में अपनी अभिरूचि की सूचना देते हुए टी बोर्ड को एक आवेदन प्रस्तुत करना होगा। टी बोर्ड के साथ प्रदर्शनें में भाग लेने के लिए आवेदन पर नीचे दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी आवश्यक दस्तावेज और भागीदारी शुल्क प्राप्त होने पर ही विचार किया जाएगा।
2. टी बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करने की तिथि से पहले किसी भी आवेदन/सूचना पर विचार नहीं किया जाएगा।
3. सर्वाधिक मेलो/प्रदर्शनें के लिए भागीदारी शुल्क के साथ आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि इस पारपत्र के वेबसाइट में प्रकाशन/ टी एसओसेशन में परिचालित होने के 10 दिनों में है।
4. इच्छुक चाय कंपनियों को अपनी कंपनी को आवंटित बिल्ट-अप स्पेस की कुल लागत का 40% वहन करना होगा। आवेदकों को एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से 55,000/- रुपये की भागीदारी शुल्क का भुगतान " टी बाड बाजार सवधन " के पक्ष में एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से करनी होगी एवं भुगतान पश्चात उनके आवेदन पत्र के साथ यूटीआर संख्या जमा करनी होगी । प्रत्येक अलग-अलग मेलो/प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए अतिरिक्त/अव्याप्यत राशि को कंपनी के वास्तविक लागत के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा। यदि 9 वगैरह वाली स्टॉल की कुल लागत 55,000/- रुपये से अधिक , तो अतिरिक्त राशि का भुगतान कंपनी द्वारा टी बोर्ड को करनी होगी।

यह राशि नीचे दिये गए खाते में एनईएफटी/आरटीजीएस द्वारा जमा की जाएगी :

Account No: 00260200000807

Account Name: "Tea Board Market Promotion Scheme"

IFSC: BARB0BRABOU

Bank: Bank of Baroda

Branch: Brabourne Road, Kolkata.

सी. जमा किए जान वाल दस्तावेज :

1. मुहर और हस्ताक्षर के साथ हस्ताक्षरित आवेदन पत्र ;
2. बोर्ड टोएमसीओ 2003/खरीदारों के पंजीकरण द्वारा जारी नवीनतम लाइसेंस की स्व-प्रमाणित प्रतियाँ
3. टी बोर्ड के साथ कंपनी के पंजीकरण के साक्ष्य वाले प्रारंभिक दस्तावेजों की प्रतियाँ
4. चाटेड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित पिछले तीन वित्तीय वर्षों के वार्षिक कारोबार प्रमाण पत्र
5. पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी द्वारा दाखिल आयकर रिटर्न की प्रतियाँ ;
6. कंपनी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित स्व-घोषणा, जिसमें यह उल्लेख होना चाहिए कि यह कंपनी वाणिज्य एवं व्यवसाय से संबंधित किसी भी आधार पर किसी भी जाच के अधीन /3 /अभियोजित/विवाजित/ब्लैक लिस्टेड नहीं है।
7. कंपनी के लेटरहेड पर दी गई घोषणा की स्कैन कॉपी
8. सरकार या किसी अन्य संगठन के किसी अन्य योजना से विशेष कार्यक्रम के लिए लाभ नहीं लेने की घोषणा की स्कैन की गई प्रतियाँ
9. कंपनी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित स्व-घोषणा, कि कंपनी टी बोर्ड इंडिया द्वारा उपलब्ध कराए गए स्टॉल से केवल भारतीय चाय प्रदर्शित करेगा और बेचेगा।
10. गैर-प्रतिभागीयों के भागीदारी शुल्क और आवेदन शुल्क त्याग देने के संबंध में आवेदक द्वारा दी जाने वाली घोषणा की हस्ताक्षरित प्रतियाँ , यदि वे आयोजन से 30 दिन या उससे कम समय से पहले भागीदारी से बाहर हो जाते हैं।
11. आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित स्टाप पेपर पर घोषणा करते हुए स्व-घोषणा कि आवेदक सुसंजित बूथ के लिए शुल्क की अंतिम गणना के बाद भागीदारी के लिए आवश्यक किसी भी अतिरिक्त राशि का भुगतान करने के लिए सहमत है। यदि चाय कंपनी उस अतिरिक्त राशि का भुगतान करने में विफल रहती है, तो टी बोर्ड उस विशेष कंपनी के पंजीकरण/लाइसेंस/पहचान को रद्द/निलंबित करने और कंपनी को काली सूची में डालने के लिए स्वतंत्र है।
12. लघु चाय उत्पादकों (एसटीजी) के मामले में एसटीजी स्मार्ट कार्ड की प्रतियाँ
13. एससी/एसटी एसटीजी के मामले में प्रमाण के रूप में एससी/एसटी प्रमाण पत्र ।

उपरोक्त सभी दस्तावेजों में कंपनी के अधिकृत हस्ताक्षरकों के हस्ताक्षर के साथ कंपनी की मुहर होनी चाहिए।

डी. शर्तें व निबंधन

1. 25 से 28 अगस्त, 2022 को सेंट्रल पार्क मैदान, सॉल्टलेक, कोलकाता में टी बोर्ड भारत के साथ आयोजित होने वाली 25^{वीं} नैशनल ट्रेड एक्ज़ीव्शियन में भाग लेने के लिए, प्रत्येक प्रतिभागी कंपनी को यथासंभव न्यूनतम विशिष्ट स्थान प्रदान किया जाना है।
2. बोर्ड के स्टालों से केवल भारतीय जैविक चाय प्रदर्शित की जा सकती है। गैर-चाय उत्पाद (अथवा कैमेलिया साइनेंसिस सयत्र से प्राप्त उत्पाद नहीं) या अन्य पेय पदार्थों के साथ-साथ भारत के अलावा अन्य मूल चाय को स्टालों से प्रदर्शित नहीं किया जाना चाहिए। इसमें किसी भी तरह की गड़बड़ी को गंभीरता से लिया जाएगा।

3. प्रतिभागियों को यह सुनिश्चित करना है कि उनके प्रदर्शन को सौदयपूर्ण तरीके से रखा गया है और उनके आवांटेत स्थान को प्रदर्शनी की पूरी अवधि के दौरान ठीक से व्यवस्थित किया गया है।
4. जिन चाय कर्पानियों के पास प्रदर्शित करने के लिए उत्पादों और नमूनों की एक बड़ी श्रृंखला है, जिन्हें अधिक स्थान की आवश्यकता है, उन्हें वास्तविक लागत पर अतिरिक्त स्थान प्रदान किया जा सकता है यदि चाय बोर्ड का बजट अनुमति देता है और यदि अन्य प्रतिभागियों को समायोजित करने के बाद चाय बोर्ड के बूथ के साथ अतिरिक्त स्थान प्राप्त करना संभव है, बशर्ते वे अपनी आवश्यकता को पहले से ही बता दें। पैकेज्ड उत्पादों के पयोप्त और विविध प्रदर्शन के माध्यम से बड़ी हुई जगह का उचित उपयोग किया जाना चाहिए।
5. समूह कर्पानियों के लिए केवल एक आवेदन पर विचार किया जाएगा जहां पूरे समूह को एक आवेदक माना जाएगा।
6. टी बोर्ड द्वारा आवश्यक स्थान उपलब्ध नहीं करा पाने के कारण कंपनी/आवेदक द्वारा एक अलग स्टॉल से भाग लेने के विकल्प के मामले में, टी बोर्ड लागत वहन नहीं करेगा या स्टॉल स्थान की प्रांतिपूर्ति पर विचार नहीं करेगा।

7. किसी विशेष आयोजन/मेले/प्रदर्शनी में उपलब्ध स्थान से अधिक सख्या में आवेदन करने वाले आवेदकों की स्थिति में महत्व के अवरोही क्रम में निम्नलिखित श्रेणियों को वरीयता दी जाएगी:

- (1) मूल्य वांछित/जैविक चाय/विशेष चाय में काम करने वाली कर्पानियां/आवेदक (25%)
- (2) एमएसएमई
- (3) लघु चाय उत्पादक/एसएचजी एव लघु उत्पादकों का एफपीसी
- (4) अनु.जा एव अनु.जनजा लघु उत्प
- (5) बड़ी कर्पानियां

यदि किसी विशेष श्रेणी में अधिक सख्या में प्रांतिभागी हैं, उस विशेष श्रेणी के लिए आवेदक का चयन लॉट के माध्यम से किया जाएगा।

एसटीजी को रुपये 1180/- को छोड़कर स्टाल के लिए प्रत्येक भागीदारी शुल्क के रूप में किसी भी शुल्क से छूट दी जाएगी। एक स्टॉल से 2/3 एसटीजी भाग ले सकते हैं। 2 से अधिक एसटीजी प्रांतिभागियों के होने की स्थिति में, चयन लॉट के माध्यम से किया जाएगा। एससी और एसटी छोटे उत्पादकों के प्रांतिभागियों के लिए कोई भागीदारी शुल्क नहीं होगा। तथापि, सभी मामलों में, चाय बोर्ड अनुमोदित प्रांतिशत हिस्से के अनुसार स्टॉल के लिए केवल किराया प्रभार वहन करेगा। कोई अन्य शुल्क जैसे, यात्रा, आवास, नमूना उपकरण, रसद, अतिरिक्त साज-सज्जा और अन्य आर्कास्मिक शुल्क आदि चाय बोर्ड द्वारा वहन नहीं किए जाएंगे।

8. आवेदकों की भागीदारी शुल्क जम्ब कर ली जाएगी यदि वे आयोजन के प्रारंभ से 30 दिनों से कम समय में कार्यक्रम से बाहर होने की सूचना देते हैं। यदि 15 दिन से अधिक समय पहले एक आवेदक द्वारा कार्यक्रम से बाहर निकलने की सूचना के संबंध में यदि एक वैकल्पिक प्रांतिभागी स्टॉल स्थान लेने के लिए नहीं पाया जाता है, तब भी आवेदक द्वारा जमा किए गए धन को जम्ब कर लिया जाएगा।
9. टी बोर्ड केवल सुसज्जित स्टॉल स्थान उपलब्ध कराएगा। अन्य सभी आवश्यकताएँ जैसे यात्रा, आवास, नमूना उपकरण, रसद, अतिरिक्त साज-सज्जा और अन्य आर्कास्मिक शुल्क की व्यवस्था कंपनी द्वारा वहन किया जाएगा।
10. यदि आवेदक द्वारा प्रदान किया गया कोई भी विवरण गलत पाया जाता है और यदि कोई प्रासांगिक जानकारी छिपी हुई पाई जाती है, तो टी बोर्ड द्वारा प्रदान की गई सहायता की राशि को ब्याज दरो @ रेपो

दर + 5% के साथ वापस करना होगा।

11. विवाद के सभी मामला में, सलाहकार सामाजिक, चयन बांड का निणय आत्म और बाध्यकारी होता है।

इ. विवाद का समाधान

किसी भी आवेदन से उत्पन्न होने वाले किसी भी संदेह या विवाद का स्थिति में, उपाध्यक्ष, टा बांड का निणय आत्म और बाध्यकारी होगा।

एफ. आवेदन जमा करना

1. सहायता प्राप्त करने के इच्छुक आवेदक आवश्यक सहायक दस्तावेजों के साथ निधायन प्रारूप में अपना आवेदन ऑनलाइन जमा करेंगे।
2. सहायता प्राप्त करने के इच्छुक आवेदक अपना आवेदन निधायन प्रारूप में आवश्यक सहायक दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन उपानदशक चयन संवर्धन, टा बांड भारत, 14 बा.टा.एम. सरणी कोलकाता-700001 को जमा करें।
2. दावा का वैधता के बारे में मजबूत देने वाले प्राधिकारों के संतुष्ट होने के बाद, ई-भुगतान तंत्र के माध्यम से धन जारी किया जाएगा। आरटाजाएस/एनइएफटा/पीएफएमएस। उप-घटक के प्रशासनिक और पारदर्शक व्यय को आवंटित नाथ से वहन किया जाएगा।

जी. उप-घटक में संशोधन

टा बांड अपने विषय से, योजना के कुशल और प्रभाव निष्पादन और अपने उद्देश्य का पूरा करने के लिए आवश्यक समझे जाने के बिना उप-घटक के किसी भी नियम और शर्तों में संशोधन, विस्तार या निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

एन.बी.

ऐसे व्यक्तियों के आवेदन जो स्वाकृत प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रस्ताव, पुरस्कार, उपहार या कोई भी भौतिक लाभ, या कोई जबरदस्त करने का सहारा लेते हैं, उन्हें सरसरा तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

टी बोर्ड इंडिया के साथ सेंट्रल पार्क मैदान, साल्ट लेक, कोलकाता में 25 से 28 अगस्त, 2022 तक "आत्मनिर्भर भारत: प्रगति, समृद्धि और स्थिरता" में भाग लेने के लिए आवेदन

क्रम. सं	विषय	विवरण
1	फर्म/कंपनी/संगठन का नाम	
2	पूर्ण संचार निदेशांक (ई-मेल, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, पंजीकृत कार्यालय का पता)	
3	आयोजन में भाग लेने वाले अधिकारी का नाम	
4	समूह कंपनी का नाम	
5	चाय बोर्ड के साथ पंजीकरण दर्शाने वाले दस्तावेजों का नाम और संख्या	
6.	पिछले 3 वित्तीय वर्षों में कंपनी का वार्षिक कारोबार (पिछले 3 वर्षों में से प्रत्येक के लिए अलग से उल्लेख करें) वर्ष 1 वर्ष 2 वर्ष 3	
7	भागीदारों के लिए मेले/प्रदर्शनी/बीएसएम का विवरण नाम: शहर: राज्य: आयोजन की अवधि..... से	
8.	क्या अन्य सरकार से सहायता प्राप्त की गई है क्रमांक 7 पर सदस्य के अंतर्गत आयोजन निकाय/इपीसी/कमोडिटी बोर्ड/एपीडा/एमपीइडीए/आईटीपीओ आदि।	

घोषणा

म/हम सत्यानष्ठा से वचन देते/घोषणा करते हैं कि ऊपर वाणित विवरण मरा/हमारा सवात्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है।

कोई भी जानकारी, याद गलत, या भ्रामक पाई जाती है, तो हम चाय बाड के साथ आगामी कार्यक्रमों में हमारा भागीदारी को अस्वाकार करने के लिए उत्तरदाय होंगे, इस संबंध में हमारे खिलाफ का जाने वाला किसी भी अन्य कारवाय पर प्रातकूल प्रभाव डाले बिना।

याद जांच के परिणामस्वरूप मुझे/हम कोई आतारक भुगतान किया गया पाया जाता है, तो इसे मरा/हमारा फर्म द्वारा किए जाने वाले किसी भी बाद के दावा के विरुद्ध समायोजित किया जा सकता है या याद बाद में कोई दावा पाइपलाइन में नहीं है, अधिक भुगतान का गई राशि मेरे/हमारे द्वारा भुगतान का गई आतारक राशि का सीमा तक वापस कर दी जाएगी।

हस्ताक्षर _____

नाम (माट अक्षरों में) _____

पद _____

आवेदक का नाम _____ फर्म _____

कार्यालय साल _____

स्थान:

दिनांक: